

***प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.11.2022 जनपद देवरिया ***

यातायात जागरूकता माह नवम्बर-2022

- ◆ यातायात जागरूकता अभियान के तहत यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा है "यातायात जागरूकता कार्यक्रम"
- ◆ स्कूल/कॉलेजों, प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर छात्रों व वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु किया जा रहा जागरूक
- ◆ सभी से वाहन चलाते समय सीटबेल्ट व हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने लिए की गई अपील

यातायात माह नवम्बर-2022 के दौरान यातायात जागरूकता हेतु चलाए जा रहे विशेष के तहत यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्र-छात्राओं व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

यातायात जागरूकता हेतु आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज दिनांक 12.11.2022 यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा गंगा प्रसाद इण्टरमीडिएट कालेज मझगाँवा में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए नियमों के शत-प्रतिशत पालन हेतु जागरूक किया गया। यातायात नियमों की जानकारी विषयक जारी हैंडव्हील पम्पलेट को वितरित किया गया। यातायात कर्मियों द्वारा जनपद के सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, तिराहों पर आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे-नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, अवयस्क को वाहन न चलाने देने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, दो पहिया वाहनो पर हेलमेट का प्रयोग करने, वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया। सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें। हेलमेट एक जीवन रक्षक उपकरण है हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग से दुर्घटना के समय आपके जीवन सुरक्षित रखने की 70% संभावनाएं विद्यमान रहती हैं।

"अपने अमूल्य जीवन को दुर्घटना में नष्ट होने से बचाएं" "आपका जीवन अमूल्य है इसे व्यर्थ सड़कों पर न गवाएं"।